संचिका सं0–7/MCH -35-04/2025-......130 (78)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वाराः– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनांक– 18/03/2026

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में इन्टर्नशीप कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृति/इन्टर्नशीप के भुगतान हेतु कुल रू0 50,00,000/– (रूपये पचास लाख) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–1017(1), दिनांक–28.08.2017 एवं संकल्प संख्या–877(1), दिनांक–27.09.2022 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 मे नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में इन्टर्नशीप कर रहे छात्र/छात्राओ के छात्रवृति/इन्टर्नशीप के भुगतान हेतु कुल रू0 50,00,000/– (रूपये पचास लाख) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन माग स0–20 के अंतर्गत स्थापना एव प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0004–नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड–20-2210-01-110-0004 अंतर्गत छात्रवृति/वजीफा (34–01) मद में पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

(3) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमडल, पटना होंगे।

(4) निकासी एव व्ययन पदाधिकारी वित विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रो के आलोक मे राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए संबधित छात्रों को उपलब्ध करायेंगे ।

(5) राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि(2), दिनांक–17.04.1998 के प्रावधानो के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

(7) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक मे व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(8) प्रारूप मे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका स०–7/MCH -35-04/2025 के पृष्ठ–. 19 /टि० पर प्राप्त है।

(9) इसमें सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवटित राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) सबधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन,

18/3/26.

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 7/MCH -35-04/2025-130(7B) /स्वा0, पटना, दिनांकः– 18/03/2026

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07बी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/3/26

सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना, विपत्र कोड– 20–2210011100004 को वित्तीय वर्ष 2025–26 मे अतिरिक्त राशि का आवटन

विषय शीर्ष	बजट उपबध	प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि	पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि	कुल बजट	पूर्व का आवटन	वर्तमान आवटन	कुल आवटन	CFMS के परिप्रेक्ष्य मे शेष राशि
0004–06–01 चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति	25,00,000	0	1,00,000	26,00,000	25,00,000	1,00,000	26,00,000	0
0004–13–01 कार्यालय व्यय	1,00,00,000	0	40,00,000	1,40,00,000	1,00,00,000	40,00,000	1,40,00,000	0
0004–21–01 सामग्री एवं पूर्तिया	3,00,00,000	1,00,00,000	50,00,000	4,50,00,000	4,00,00,000	50,00,000	4,50,00,000	0
0004–28–04 व्यावसायिक /कला/ तकनीकी सेवाये	25,00,00,000	0	0	25,00,00,000	24,00,00,000	1,00,00,000	25,00,00,000	0
0004–34–01 छात्रवृत्ति/वजीफा	2,60,00,000	50,00,000	2,50,00,000	5,60,00,000	5,10,00,000	50,00,000	5,60,00,000	0
कुल योग–	**31,85,00,000**	**1,50,00,000**	**3,41,00,000**	**36,76,00,000**	**34,35,00,000**	**2,41,00,000**	**36,76,00,000**	0

(रुपये दो करोड इकतालीस लाख) मात्र

130(7B) 18/03/2026

18/3/26

सरकार के अपर सचिव